

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा, जिला-चित्तौडगढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 15/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:-14.06.2021

रामचन्द्र पिता दुर्गाशंकरजी जाति श्रीमाली आयु वयस्क नि0 चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0। - प्रार्थी

बनाम

1. शम्भुलाल पिता रोडीलालजी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. गोपाल पिता रोडीलालजी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
3. अरविन्द पिता गोपीलाल जाति श्रीमाली आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. उदयलाल पिता मन्नालाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. गणेश लाल पिता हुकमीचंद जाति श्रीमाली आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
6. सुखलाल पिता हुकमीचंद जाति श्रीमाली आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
7. कमलेश पिता हुकमीचंद जाति श्रीमाली आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
8. चुन्नीलाल पिता किशना जाति धाकड़ आयु वयस्क नि0 चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा
जिला चित्तौडगढ़ राज0।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा चरलिया ब्राह्मणान प0ह0 बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा में खाता सं0 271 की आराजी नं0 105 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, आराजी नं0 542 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जिस पर कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा चरलिया ब्राह्मणान प0ह0 बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा में खाता सं0 271 की आराजी नं0 105 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, आराजी नं0 542 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)

उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेडा

